

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उनवान

बनाम

शुभाषच-र पुत्र चंद्रराज

1. रामधारी पुत्र चंद्रराम जाति

जाति मेघवात वि० धौतपातिष्ण

मेघवात इत्यादि

दावा बाबत :-

88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :-

149/2020

निर्णय दिनांक :-

13-12-21

वादी की ओर से वकील भुरीराम गोषामी की व प्रतिवादीगण की ओर से

वकील — की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.12.21 को

मुद्रा शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर

आदेश दिया जाता है कि

रौही भौजा धौतपातिष्ण के खाता न० 66/14

के खाता न० 13, 51, 115, 117, 170, 171 कुल 11.836

बाराही में 7.890 हे० भूमि व रौही धौतपातिष्ण

के खाता न० 103/102 के खाता न० 90, 91, 93

की कुल 4.818 हे० बाराही खातेदारी में वादी व प्रति० न०

1 ग 3 मपुमर रूप से 4/5 हिस्सा बरिस्ता बरावर व प्रति० न० 4 ग 6

मपुमर रूप से 4/5 हिस्सा के अनुसार खातेदार अरहदार घोषित

किये जाते हैं शर्त भूमि वेड रहन है ही रहन कुल ही पर

उपरामरानुसार राजस्व रिगि उरुनर किय जाते।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13-12-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

श्रीमति शकुन्तला चौधरी

(आर० ए० एस०)

उपखण्ड अधिकारी भादरा

हनुमागढ़